वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए मार्च, 2024 माह हेतु डीपीई का मासिक उपलब्धियां
*****

1. कैपेक्स लक्ष्य:

मार्च, 2024 तक चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य वाले) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और इसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 08.04.2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। ₹7.41 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि ₹8.05 लाख करोड़ (लगभग) अर्थात् दिनांक 31.03.2024 तक लगभग 108.54%; जबकि मार्च, 2023 तक की समान अवधि में अनुमानित कैपेक्स ₹6.46 लाख करोड़ रूपये अर्थात 100.38% के अनुमानित कैपेक्स के मुकाबले यह 6.48 लाख करोड़ रुपये था। **कैपेक्स वर्ष 2022-23 में 6.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 8.05 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 24.2% की वृद्धि दर्शाता है।**

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

i. दिनांक 13.03.2024 को हुई बैठक के आधार पर, शीर्ष समिति ने अपने दिनांक 14.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीडब्ल्यूसी और हुडको को 'नवरत्न' का दर्जा देने के प्रस्ताव की सिफारिश की।
ii. दिनांक 11.03.2024 को हुई बैठक के आधार पर, अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव की सिफारिश की।
iii. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर 58 पदों को तत्काल आमेलन के नियम से छूट देने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
iv. लोक उद्यम विभाग ने पीईएसबी को अनुसूची 'क' के रूप में एनएचआईडीसीएल के प्रारंभिक श्रेणीबद्ध करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।
v. लोक उद्यम विभाग द्वारा पीईएसबी के परामर्श से सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुसूची 'ख' सीपीएसई के रूप में प्रारंभिक वर्गीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और इसे अनुमोदन के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा गया था।
vi. डीपीई ने सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों जो 7वें सीपीसी वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे थे को डीए के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.03.2024 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया।
vii. सीपीएसईज़ को सूचना और अनुपालन हेतु निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश परिचालित किए गए थे –

क. कार्य-निष्पादन सुरक्षा के संबंध में सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 171 (i) में संशोधन के संबंध में व्यय विभाग का दिनांक 1 जनवरी, 2024 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.1/2/2023-पीपीडी।
ख. राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों और शिशु गृहों (संचालन और प्रबंधन) के प्रोटोकॉल के संबंध में सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 23 फरवरी, 2024 का अ.शा. संख्या 23/1/2018-सीआरईसीएचई-भाग (2)।
ग. दिव्यांगजनों के लिए पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पर शुरू किए गए मॉड्यूल के संबंध में उपयोग किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/7/2024-स्थापना (आरईएस-II)।

3. एनएलएमसी द्वारा सीपीएसईज़ की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण: -

विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए चरण-I ई-नीलामी दिनांक 14.03.2024 को आयोजित की गई थी और इससे 242.88 करोड़ रुपये का संचयी लेनदेन मूल्य प्राप्त हुआ, जो आरक्षित मूल्य 209.5 करोड़ रुपये से 15.9% प्रीमियम दर्शाता है। ई-नीलामी के लिए रखे गए कुल 130 प्लॉट/ब्लॉक (67,277.04 वर्ग गज) में से 72 प्लॉट/ब्लॉक (29,267.79 वर्ग गज) की बोली लगाई गई थी।

4. सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:

i. वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापनों का आकलन ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से पूरा किया गया।
ii. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 90 सीपीएसईज़ में से 10 के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापनों की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित की गई।

5. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल टिप्पणियां:

i. इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (आईटीडीसी) के होटल जम्मू अशोक, जम्मू के विनिवेश पर पर्यटन मंत्रालय के मसौदा सीसीईए नोट पर टिप्पणियां जम्मू और कश्मीर सरकार को जैसा है वैसा आधार से प्रस्तुत की गई थीं।

ii. डीपीई ने दिनांक 21 फरवरी से 22 फरवरी, 2024 तक भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता के 7वें दौर में भाग लिया।

iii. लोक उद्यम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी के निवेश के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा परिचालित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत और परिचालित कीं।

6. सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ और जीईएम के माध्यम से खरीद:

i. **वर्ष 2023-24 (मार्च, 2024 तक) के दौरान एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद लगभग 36.34% थी, जबकि अनिवार्य 25% (एमएसएमई-संबंध पोर्टल के अनुसार) थी।**

ii. **मार्च, 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) तक जीईएम से सीपीएसईज़ द्वारा 2,62,542 करोड़ रुपये की खरीद की गई, जबकि मार्च, 2023 (वित्तीय वर्ष 2022-23) तक 1,06,060 करोड़ रुपये की खरीद की गई थी।**

7. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

i. **वर्ष 2023-24 (फरवरी, 2024 तक) के दौरान सीपीएसईज़ पर होने वाले शीर्ष 30 सीएसआर व्यय 2,467 करोड़ रुपये के सीएसआर व्यय की सूचना दी।**

ii. डीपीई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए 'स्वास्थ्य और पोषण' को सामान्य विषय के रूप में अधिसूचित किया।

8. क्षमता निर्माण:

i. डीपीई ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले सीपीएसईज़ के स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) के क्षमता निर्माण के लिए दिनांक 21 और 22 मार्च, 2024 को वाराणसी में आवासीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न सीपीएसईज़ के 39 आईडी ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र, बोर्ड रूम एथिक्स और बोर्ड संस्कृति, परिवर्तनकारी नेतृत्व, बोर्ड बैठकों के लिए सचिवीय मानक, वित्तीय विवरणों को समझना से संबंधित सत्र प्रख्यात संकाय द्वारा लिए गए थे।

ii. लोक उद्यम विभाग ने एसजेवीएन लिमिटेड के सहयोग से सीपीएसईज़ के कार्यकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए दिनांक 22 एवं 23 मार्च, 2024 को शिमला में आवासीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न सीपीएसई के 27 कार्यकारी निदेशकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

iii. लोक उद्यम विभाग ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से 'व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए दक्षताओं का निर्माण' पर दो आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 68 कार्यकारियों ने भाग लिया।

iv. डीपीई और नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) ने 5 मार्च, 2024 को वीसी मोड के माध्यम से ई-बैंक गारंटी और सूचना उपयोगिता प्लेटफार्मों पर आधे दिवसीय परिचित कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 200 से अधिक कार्यकारियों ने भाग लिया।

9. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 160 मामले रिपोर्ट किए गए/पंजीकृत किए गए। 12 मामलों को वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर रद्द कर दिया गया। 38 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 69 मामले निर्णय हेतु सचिवों की समितियों के पास हैं। शेष 41 मामले उनकी जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास लंबित हैं। विवरण अनुबंध **- क, ख और ग** में दिए गए हैं।

*****